

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:- 12/80/2025

रजू दिनांक: 03.06.2025

रजि0 न0 2025/177

अपीलार्थी:-

श्री संतोष मीना, जे-77 तीसरा (टॉप) तल,
पर्यावरण कॉम्पलेक्स, इगनु रोड़, नेब सराय, नई
दिल्ली-110068

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास
न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)
301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 30.06.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र क्रमांक यूआईटी/आर.टी.आई/2025/2691 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 01.05.2025 के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आठ बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गई है। संबंधित शाखा द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1521 दिनांक 14.05.2025 से बिन्दुवार सूचना/प्रतिलिपि संलग्न कर सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब मय संलग्नक के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 30.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दपतर हो।



(डॉ. आर्तिकी शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)